





केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX [केडर नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY]

हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004 GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

C.No.II/3/35/2015-Estt.

Date: 22-03-2018

## स्थापना आदेश ESTABLISHMENT ORDER (G.O.) NO.09/2018

\* \* \*

कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-Estt.( D) दिनांक 19 मई, 2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे उल्लिखित ग्रेड पे और तारीख से एम ए सी पी स्कीम के अंतर्गत वेतनमान वेतन सहित तीसरी वित्तीय प्रोन्नित प्रदान की जाती है।

In pursuance of the Department of Personnel & Training O.M.No.35034/3/ 2008-Estt.(D) dated  $19^{th}$  May 2009 and with the approval of competent authority, following officer is hereby granted  $2^{nd}$  Financial upgradation under MACP Scheme with effect from the date & Grade Pay (Pre-revised) / Level of  $7^{th}$  CPC as mentioned against his name:

क्रमां क SI.N o.	अधिकारी का नाम सर्व/श्री/श्रीमती Name of the Officer S / Shri / Smt.	जन्म तिथि Date of Birth	वर्तमान कार्यस्थल Present place of working	दूसरी वित्तीय प्रोन्नित योग्यता तारीख Eligible date of 2 <sup>nd</sup> financial upgradation and with Grade Pay / Level
1	2	3	4	5
1	सी.एस.श्रीनिवास C.S.Srinivas	25-08-1971	गुंटूर Guntur	05-05-2014 / Rs.5400/- GP in PB-2 (Level 9 of 7 <sup>th</sup> CPC Pay Matrix)

2. उपर्युक्त अधिकारियों को वित्तीय प्रोन्नित का. ज्ञा. सं. 35034/3/2008-Estt (D) दिनांक 19.05.2009 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ निम्निलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

The financial upgradation granted to the above mentioned officer in terms of the O.M.35034/3/2008-Estt(D) dt. 19-05-2009 is subject to, inter alia, the following conditions:-

2.1 वित्तीय प्रोन्नित से लाभार्थी के पदनाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानि वित्तीय प्रोन्नित उनके पूर्व के ही पदनाम को बनाए रखते हुए प्रदान की जाती है और यह वित्तीय प्रोन्नित उन्हें उच्चतर स्तर से संबन्धित कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of his old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 एम ए सी पी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नित पदस्थ अधिकारी के लिए पूरी तरह व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी की वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नित के लिए इसे नहीं माना जाएगा। पुन: इसका उनके अंतर-अनुभागीय विरष्ठता से कोई संबंध नहीं है जैसे कि यदि एम ए सी पी स्कीम के अंतर्गत कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान दिया गया है तो इस आधार पर विरष्ठ अधिकारियों की कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रोन्नित नहीं होगी। एम ए सी पी स्कीम की भावना के पीछे "कनिष्ठ-विरष्ठ" की कोई धारणा नहीं है।

The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotion of the officer concerned. Further, it shall have no relevance to his inter-se seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officers on the ground that the junior officers have got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior-Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 यद्यपि अगर प्रभावहीनता के कारण वित्तीय प्रोन्नित की अनुमित दी जाती है और अधिकारी पदोन्नित लेने से मना कर देता है तो इस आधार पर वित्तीय प्रोन्नित भी प्राप्त नहीं की जा सकती। यद्यपि आगे वित्तीय प्रोन्नित के लिए विचार करने के लिए वह तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह दोबारा पदोन्नित की सहमित के लिए विचारणीय नहीं होता और अगली वित्तीय प्रोन्नित भी, अस्वीकृति के कारण लगी पाबंदी की अविध की सीमा तक विलंब, से होगी।

If, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नित के समय, नियमित पदोन्नित के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ भी मान्य होगा। इसिलए वेतनमान और इस प्रोन्नित के पूर्व ग्रेड वेतन में कुल वेतन के 3% की वृद्धि होगी। हालांकि यदि एम ए सी पी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन नियमित पदोन्नित के समय प्राप्त ग्रेड वेतन के समान होता हैं तो आगे कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा। हालांकि यदि नियमित पदोन्नित, एम ए सी पी स्कीम के अंतर्गत ग्रेड वेतन से उच्चतर ग्रेड वेतन वाले पद पर होती है तो कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और केवल दोनों ग्रेड वेतन के बीच का अंतर ही प्रदान किया जाएगा।

Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACP Scheme. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACP Scheme, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 एम ए सी पी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नति, जैसा दर्शाया गया है और जिसमे उच्चतर कर्तव्य और उत्तरदायित्व शामिल नहीं हैं, में विशेष छूट के रूप में, उच्च पद/ग्रेड में उनके वेतन का निर्धारण या तो उनकी पदोन्नति/प्रोन्नति की तारीख से या उनकी अगली वेतन वृद्धि जो कि वर्ष की पहली जुलाई होती है को वेतन निर्धारण एफ़.आर.22(I)(a)(1) के अंतर्गत होगा। वेतन व वेतन वृद्धि की तारीख व्यय विभाग के का. जा. सं. 1/1/2008-IC, दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं. 2 के अनुसार निर्धारित होगी।

On his financial upgradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz.  $1^{st}$  July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

2.6 किसी भी पुराने मामले पर दोबारा विचार नहीं होगा। एम ए सी पी स्कीम के कार्यान्वयन के समय, पुरानी ए सी पी स्कीम (अगस्त 1999) और एम ए सी पी स्कीम के अंतर्गत, समान कैडर में, वित्तीय प्रोन्नित प्रदान करने के आधार पर वेतनमानों में पाये गए अंतर का अर्थ अनियमितता से नहीं लगाया जाएगा।

No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 पदस्थ अधिकारी के उच्चतर ग्रेड वेतनमान में वेतन निर्धारण का विकल्प (आदेश प्राप्त होने के एक माह के भीतर अभ्यास में लाने योग्य) वेतन वृद्धि की तारीख (जो कि वर्ष की पहली जुलाई) के आधार पर भी मान्य है। इस तरह व्यवहार में लाये गए विकल्प को अंतिम समझा जाएगा।

Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e.  $1^{\rm st}$  July of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. नियंत्रण अधिकारी वेतन निर्धारण से पूर्व अंतिम सतर्कता स्पष्टीकरण प्राप्त करें

The controlling officer may obtain the latest vigilance clearance before fixation of pay.

(पी.सी.अजितकुमार P.C.AJITHKUMAR)

22/3/18

सहायक आयुक्त (क व सत) ASSISTANT COMMISSIONER (P&V)

प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को The Individual (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

## प्रतिलिपि Copy to:

- 1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद/विसखपटनम क्षेत्र।
  The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam zones.
- 2.सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद/विसखपटनम क्षेत्र। All the Principal Commissioner/ Commissioners of Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam zones.
- 3. सभी CAO/PAO,सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/विसखपटनम क्षेत्र। All the CAO/PAO, Central Excise & Service Tax, Hyderabad/Visakhapatnam zones.
- 4. महा सचिव, वर्ग "ख" (राजपत्रित)(कार्यकारी) अधिकारी संगठन, हैदराबाद। The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Gazetted (Executive) Officer's Association, Hyderabad zone.
- 5. महा सचिव, अ जा/ अ ज जा संगठन,सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद। The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC/ST Employees Welfare Association, Hyderabad zone.

6. स्टॉक फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.

(पी.सी.अजितकुमार P.C.AJITHKUMAR) 2

सहायक आयुक्त (क व सत)
ASSISTANT COMMISSIONER (P&V)